रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229742
CG-DL-E-17092021-229742

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3503] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943
No. 3503] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/BHADRA 26, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

आयकर

का.आ. 3815(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 197क की उप-धारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 194क के अधीन निम्नलिखित भुगतान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी, अर्थात् उक्त अधिनियम की धारा 10 के खंड (26) में यथा विनिर्दिष्ट, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित किसी अनुसूचित बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात "भुगतानकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जनजाति के सदस्य (जिसे इसमें इसके पश्चात "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) को ब्याज की प्रकृति में भुगतान, प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न, किए गए भुगतान है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) भुगतानकर्ता, इसके समर्थन में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों को प्राप्त करके संतुष्ट है कि प्राप्तिकर्ता किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और उस निर्धारण वर्ष जिसमें भुगतान किया जाता है, के लिए सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान, उक्त अधिनियम की धारा 10 के खंड (26) में यथा विनिर्दिष्ट भुगतान प्राप्तकर्ता को प्रोद्भुत या उद्भूत हो रहा है, जैसा कि ऊपर संदर्भित है;

(ii) जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 200 की उप-धारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट है, भुगतानकर्ता कर की कटौती के विवरण में उपरोक्त भुगतान को रिपोर्ट करता है;

(iii) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किया गया भुगतान या कुल भुगतान बीस लाख रूपए से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, पद "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा (2) के खंड (ङ) में है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 110/2021/फा. सं. 275/27/2021-आईटी (बी)]

अरविन्द कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

INCOME TAX

S.O. 3815(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1F) of section 197A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that no deduction of tax shall be made on the following payment under section 194A of the said Act, namely payment in the nature of interest, other than interest on securities, made by a scheduled bank (hereinafter the "payer") located in a specified area, to a member of Scheduled Tribe (hereinafter the "receiver") residing in any specified area, as referred to in clause (26) of section 10 of the said Act, subject to the following conditions:

(i) the payer satisfies itself that the receiver is a member of Scheduled Tribe residing in any specified area, and the payment as referred above is accruing or arising to the receiver as referred to in clause (26) of section 10 of the said Act, during the previous year relevant for the assessment year in which the payment is made, by obtaining necessary documentary evidences in support of the same;

(ii) the payer reports the above payment in the statements of deduction of tax as referred to in sub-section (3) of section 200 of the said Act;

(iii) the payment made or aggregate of payments made during the previous year does not exceed twenty lakh rupees.

***Explanation*.-** For the purposes of this notification, the expression "scheduled bank" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 110/2021/F. No. 275/27/2021-IT(B)]

ARVIND KUMAR MISHRA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.17 21:55:22 +05'30'